


नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	----------------------------------	--


3.23


वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

13<sup>5</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली शब्दीय लोक अदालत कांडल में पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किया गया। वकील प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय रूपक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अम्बर में कम है।

  
**सर्वस्य**  
बलुका विधिक सेवा समिति  
बलुका सिविल न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
माण्डल - भीलवाड़ा

  
**अध्यक्ष**  
बलुका विधिक सेवा समिति  
बलुका सिविल न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
माण्डल - भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

निर्वासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 35/23 प्रा०पत्र

1- श्री मुकेश शि० मैकलाल ङाट निवासी- आर्दशनगर तहसील-मांडल (वर्ग 1)

-प्रार्थी-

बनाम

1- श्री कैलाश शि० उदा ङाट निवासी- आर्दशनगर तहसील-मांडल (वर्ग 1)  
(सहायकित प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आर्दशनगर पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 2713/1123 कुल कित्ता 07 रकबा 4.6792 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आर्दशनगर पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 2713, 1123 कुल कित्ता 07 रकबा 4.6792 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा